

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरु)

बड़जलास मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :

अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राज. भू-अभिलेख नियम

अनुवान सरकार बनाम अन्तरसिंह आदि

निर्णय दिनांक : 11.06.2025

--: निर्णय ::--


तहसीलदार, राजगढ़ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू-अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66, 86 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो।

राजपैरोकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, राजगढ़ ने रोही ग्राम सुरतपुरा में मौके पर जैरकार कदीमी रास्ता की भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता घोषित कर इसका अंकन नक्शा एवं जमाबन्दी में करने का निवेदन किया है। उक्त रास्ता भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	रास्ते में आने वाला रकबा	वि.वि.
1.	सुरतपुरा	204	2.1200 हैक्टेयर	0.0840 हैक्टेयर	112X7.5 वर्गमीटर
2.	सुरतपुरा	87	1.3000 हैक्टेयर	0.0540 हैक्टेयर	72X7.5 वर्गमीटर
3.	सुरतपुरा	85	3.7100 हैक्टेयर	0.0900 हैक्टेयर	120X7.5 वर्गमीटर
4.	सुरतपुरा	83	3.7100 हैक्टेयर	0.1080 हैक्टेयर	144X7.5 वर्गमीटर
5.	सुरतपुरा	82	3.4900 हैक्टेयर	0.1275 हैक्टेयर	170X7.5 वर्गमीटर
6.	सुरतपुरा	733/70	0.8800 हैक्टेयर	0.1110 हैक्टेयर	148X7.5 वर्गमीटर
7.	सुरतपुरा	69	2.6500 हैक्टेयर	0.1020 हैक्टेयर	136X7.5 वर्गमीटर
8.	सुरतपुरा	63	5.7400 हैक्टेयर	0.1710 हैक्टेयर	228X7.5 वर्गमीटर
9.	सुरतपुरा	62	2.1600 हैक्टेयर	0.0240 हैक्टेयर	32X7.5 वर्गमीटर
10.	सुरतपुरा	49	0.3300 हैक्टेयर	0.0045 हैक्टेयर	6X7.5 वर्गमीटर

प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का सुरतपुरा व भू0अ0नि0 हल्का राघा छोटी की फर्द मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी व नक्शा तथा गुगल मैप प्रिन्ट में प्रचलित रास्ता को संकेत A से B अंकित कर संलग्न किये गये है। गुगल मैप में रास्ता जैरकार होने के चिन्ह स्पष्ट अंकित है। अतः तहसीलदार, राजगढ़ के निवेदन एवं संबंधित खातेदारों की सहमति के आधार पर परिशिष्ट-ए में अंकितानुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है।




उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरु)

-:: आदेश ::-

अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व रा0भू0अ0 1956 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 स्वीकार किया जाता है तथा रोही ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 204, 87, 85, 83, 82, 733/70, 69, 63, 62, 49 में से कुल 0.8760 हैक्टेयर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। यह गै0मु0 रास्ता संबंधित खातेदार की निजी खातेदारी में रहेगा। तहसीलदार राजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, राजगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मीनू वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ़ (दूरी)

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ़ (दूरी)




श्री प्रबन्ध विभाग

ग्राम- कुरुपुरा

तह. राजगढ

जिला- सुन



- ① 49 = 7.5' m x 6 m = 45 m²
- ② 62 = 7.5' m x 32 m = 240 m²
- ③ 63 = 7.5' m x 228 m = 1710 m²
- ④ 69 = 7.5' m x 136 m = 1020 m²
- ⑤ 733/70 = 7.5' m x 148 m = 1110 m²
- ⑥ 82 = 7.5' m x 170 m = 1275 m²
- ⑦ 83 = 7.5' m x 144 m = 1080 m²
- ⑧ 85 = 7.5' m x 120 m = 900 m²
- ⑨ 87 = 7.5' m x 72 m = 540 m²
- ⑩ 204 = 7.5' m x 112 m = 840 m²

8760 वर्ग मी.

प्र-हाकिट रा-ते म् हे = 0.8760 हे.
सकेत (.....) जनकिट रा-ला (उजावित)

C.P.K
स्पर्धक अधिकारी
राजगढ (सुन)

202
42- कुरुपुरा

02/6/25
I.C.
Rajna Bhoti

CS
तहसीलदार (सु.अ.)
राजगढ (सुन)